



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2811]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2015/पौष 8, 1937

No. 2811]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2015/PAUSA 8, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3532(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाता है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन) कानपुर नगर, को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे अक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी जो आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए इटावा जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम : इटावा

क्रम संख्या	तालुक का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	भरथना	(1) रीतौर	14	0.0525
			16	0.0900
			138	0.0600
			137	0.0010
			135	0.0536
			85	0.0564
			80	0.0012
			81	0.0700
			646	0.0180
			648	0.0012
			651	0.0481
			652	0.0574
			654	0.0016
			656	0.0250
			657	0.0280
		(2) मेढ़ीदुधी	451	0.1234
			471	0.0338
			472	0.0312
			468	0.0336
			473	0.0560
			1168	0.0450
		(3) कंधेसी पचार	420	0.0200
			431	0.0270
			577	0.0164
			578	0.1363
			579	0.0610
			419	0.1216
		(4) थरी	2008	0.0532
			2009	0.0140
			2005	0.0588
			2079	0.0352
			2003	0.0420
			2018	0.0670
			2082	0.0040
			2087	0.0110
			2089	0.0322

		(5) साम्हो	667	0.0048
			670	0.1200
			668	0.0342
			1688	0.1008
			1535	0.0672
			671	0.0398
			669	0.0112
			672	0.0028
(2)	इटावा सदर	(1) ईटगांव	975 मि०	0.1260
(3)	जसवन्तनगर	(1) कैस्त	698	0.2300
			699	0.0504
			700	0.0216
			919	0.0660
			920	0.0180
			922	0.0820
		(2) तमेरा	104	0.1008
			105	0.1494
			164	0.0380
			165	0.2034
		(3) राजपुर तमेरी	25	0.0160
			26	0.0160
		(4) तमेरी	20	0.1600
			21	0.0650
			22	0.2340
			31	0.0128
			32	0.0200
			172 मि०	0.1360
			176 मि०	0.0130
		(5) बलरई	184	0.0720
			186	0.1060
			187	0.0610
			188	0.0100
			189	0.0080
			192	0.0300
			287	0.1020
			288	0.1850
		(6) बीबामऊ	392	0.1450
			393	0.0180
			420	0.2340
			428	0.2600
			430	0.0470
		(6) मलाजनी	985 / 1	0.0250
			878 / 2	0.1620

[फा. सं. 2013 / एल.एम.एल. / 12 / 7 / ईस्टर्न कॉरीडोर / 703]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)**

New Delhi, the 28th December, 2015

S.O. 3532(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of **Etawah** in the State of **Uttar Pradesh**, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Kanpur Nagar in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the proposed of Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Etawah in the State of Uttar Pradesh.

Name of District : Etawah

Serial Number	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey number	Area in hectares/Square metres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Bharthana	(1) Ritaur	14	0.0525
			16	0.0900
			138	0.0600
			137	0.0010
			135	0.0536
			85	0.0564
			80	0.0012
			81	0.0700
			646	0.0180
			648	0.0012
			651	0.0481
			652	0.0574
			654	0.0016
			656	0.0250
			657	0.0280
		(2) Medhidudhi	451	0.1234
			471	0.0338
			472	0.0312
			468	0.0336
			473	0.0560
			1168	0.0450
		(3) Kandhesi Pachar	420	0.0200
			431	0.0270
			577	0.0164
			578	0.1363
			579	0.0610
			419	0.1216

		(4) Thari	2008	0.0532
			2009	0.0140
			2005	0.0588
			2079	0.0352
			2003	0.0420
			2082	0.0040
			2018	0.0670
			2087	0.0110
			2089	0.0322
		(5) Samhon	667	0.0048
			670	0.1200
			668	0.0342
			1688	0.1008
			1535	0.0672
			671	0.0398
			669	0.0112
			672	0.0028
(2)	Etawah Sadar	(1) Etgaon	975 Mi	0.1260
(3)	Jaswant Nagar	(1) Kaist	698	0.2300
			699	0.0504
			700	0.0216
			919	0.0660
			920	0.0180
			922	0.0820
		(2) Tamera	104	0.1008
			105	0.1494
			164	0.0380
			165	0.2034
		(3) Rajpur Tameri	25	0.0160
			26	0.0160
		(4) Tameri	20	0.1600
			21	0.0650
			22	0.2340
			31	0.0128
			32	0.0200
			172 Mi	0.1360
			176 Mi	0.0130
		(5) Balrai	184	0.0720
			186	0.1060
			187	0.0610
			188	0.0100
			189	0.0080
			192	0.0300
			287	0.1020
			288	0.1850
		(6) Bibamau	392	0.1450
			393	0.0180
			420	0.2340
			428	0.2600
			430	0.0470
		(7) Malajani	985/1	0.0250
			878/2	0.1620

[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/703]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-I)